

16.5.22

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग
अभियान रैम्प बोर्ड ग्रा.सं. 24 ASD में
पेश। वकील सार्थी उपर। वकील सार्थी
ने निवेदन किया कि विकारित भूमि
तहसील रावला के फु 11/100-8 के
प.नं. 13/34 के कि. नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18,

11/100-8

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>19, 22, 23 बी 1-518 ईक्टोर ब्लॉक के शासक रिपोर्ट में विरामतन नामांतरण दर्ज करते समय साक्षी का नाम लखन से हाकमराम पुत्र दुलाराम दर्ज कर दिया गया जबकि साक्षी का वास्तविक नाम हाकुराम पुत्र दुलाराम है एवं साक्षी के समस्त दस्तावेजों में भी साक्षी का नाम हाकुराम ही दर्ज है। इसलिख क्विडित भूमि में साक्षी का नाम लखु हाकमराम के स्थान पर हाकुराम दर्ज किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">स्टेट की ओर से तहसीलदार</p> <p>रावला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उत्तराधिकार नाम दुर्लक्ष करने की अनुशंसा की गई है। ऐसी स्थिति में साक्षी का साधना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समीत होता है।</p> <p>अतः साक्षी का साधना पत्र स्वीकार किया जाना क्विडित भूमि तहसील रावला के प्लॉ 11(KN)-B के प. सं. 13/34 के क्लॉ सं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 बी 1-518 ईक्टोर ब्लॉक की अमावन्दी में साक्षी का नाम हाकमराम पुत्र दुलाराम के स्थान पर</p>	

1/10

दुरुस्त करते हुए वर्तमान जमाखंडी प्र.
हेमुराम पुत्र धूलाराम जाति लूहार सा.दे.
खातेवाले दर्ज करने का आदेश दिया
जिसमें एक तहसीलदार (राजल) बाबुला
को आदेशित किया जाता है कि इसी
केबुसात बाबुल रिपोर्ट में जमलदराम
को पत्रावली केसलमुफात होकर हाकिम
दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2022
को मेरे द्वारा प्रशासन शांति के संग
अभिप्राय में मजम-र-धाम से विख्यात
जमात जुलाया गया।

~~17/05/2022~~
~~अध्यक्ष विधानिका~~
~~उपखण्ड अधिकारी~~
~~घडसाना~~